

# एथनॉल नीति मंजूर, बाजार आधारित होगी कीमत

आगामी एक दिसंबर से लागू होगी नई कीमत, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिया गया फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

सरकार ने नई एथनॉल नीति को मंजूरी दे दी है। अब एथनॉल की कीमत तय करने में उत्पादन लागत को आधार बनाया जाएगा। उत्पादन लागत को आधार बनाने से इसकी कीमत 42 रुपये प्रति लीटर से घटकर 39 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी। नई कीमत आगामी एक दिसंबर से लागू होगी।

प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की कमेटी (सीसीईए) की बृहस्पतिवार को यहां हुई बैठक में इस आशय का फैसला हुआ। बैठक



के बाद सरकार की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि चीनी वर्ष 2016-17 के दौरान पेट्रोल में मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले एथनॉल की कीमत 39 रुपये प्रति

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आलोच्य चीनी वर्ष के दौरान आर्थिक या अन्य कारणों से यदि पेट्रोल की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव होता है, तो उसी हिसाब से एथनॉल की कीमत में कमी-बेशी होगी।

बयान के मुताबिक, एथनॉल के आपूर्तिकर्ता को खरीद करने वाली कंपनी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा राज्य सरकार को भुगतान किये गए वैट या बिक्री कर की तो भरपाई की ही जाएगी, साथ ही उनके प्लाट से तेल विपणन करने वाली कंपनियों के भंडार तक एथनॉल को पहुंचाने में जो परिवहन लागत आएगी, उसका भुगतान भी किया जाएगा।

## किसी को नहीं होगा नुकसान

मंत्रालय अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से चीनी मिलों या गन्ना किसानों को नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान ने पहले

ही कहा है कि निकट भविष्य में पेट्रोल में 10 फीसदी से अधिक एथनॉल मिलाने का लक्ष्य है। जब एथनॉल की मिलावट पेट्रोल में बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ेगी। इससे गन्ना किसानों तथा चीनी मिलों को लाभ होगा। संप्रग सरकार में एथनॉल की कीमत के लिए 16-17 रुपये प्रति लीटर की पेशकश की गई थी,

जिसे राजग सरकार ने बढ़ा कर 49 रुपये कर दिया था।

## बाजार अनुरूप है मूल्य

एथनॉल की नई कीमत पर संवदाताओं ने पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान से जब सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि नई कीमत कम या ज्यादा नहीं है बल्कि बाजार के हिसाब से है।

किसी भी चीज की कीमत बाजार के हिसाब से ही तय होनी चाहिए।

## इस्मा ने किया स्वागत

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक, अविनाश वर्मा के मुताबिक इससे चीनी मिलों की अनिश्चितता खत्म हुई। सरकार ने एथस-फैवट्री मूल्य देना स्वीकार कर लिया है और सभी तरह के करों का भुगतान खरीदार द्वारा किया जाएगा।